पृष्ठ 1 [22/12/2021]

81

प्रश्न सं. [क्र. 771]

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, इन्दौर द्वारा प्रसारित

आदेश

इन्दौर, दिनांक 26-7-19

आदेश क्रमांक/योजना/2019/398

म.प्र. शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/3 नियम/चार, भोपाल दिनांक 3.09.2013 में वानिकी कार्य तथा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 के भाग 2 में निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी संरक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1543 दिनांक 4.07.2019 द्वारा राशि रू. 78.67 लाख की जारी प्रशासकीय स्वीकृति के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल धार द्वारा पत्र क्रमांक 3883 दिनांक 23.07.2019 से प्रस्तुत निम्न प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

परिक्षेत्र का नाम	तितली पार्क निर्माण स्थल का नाम	निर्माण कार्य का		अन्य
		कार्य विवरण	लागत (लाख में)	
1	2	3	4	5
माण्डव	माण्डव	बटर फ्लाय पार्क डोम	45.00	निर्माण एजेन्सी वनमण्डल धार रहेगी।
		पेगोडा निर्माण	2.00	
		तालाब किनारे फ्लेग स्टोन पेबिंग कार्य	7.20	
		लेण्ड स्केपिंग	2.43	
		फेंसिंग कार्य	9.25	
		पार्किंग कार्य	7.50	
		योग	73.38	
		कन्सल्टेन्ट फीस 3.54% (Including GST)	2.59	
		पौधा रोपण	2.70	
		कुल योग	78.67	

उक्त कार्यो की तकनिकी स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधिन रहेगी :-

1 निर्माण पर होने वाला व्यय म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र. भोपाल द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिये स्वीकृत आवंटन की सीमा में विकलनीय होगा।

2 नियमानुसार निर्माण लागत का 1 प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर राशि काटकर सम्बन्धित अधिकृत कार्यालय को भेजी जावें।

3 सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमो का पालन किया जावें।

4 निर्माण का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

5 निर्माण की माप पुस्तिका परिक्षेत्राधिकारी द्वारा तैयार की जावेगी तथा कार्यो का भौतिक सत्यापन उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।

6 निर्माण स्थल का अक्षांश व देशांश स्थल की माप पुस्तिका में अंकित किया जावें।

7 निर्माण पर सीमेन्ट से स्थल का नाम एवं निर्माण वर्ष को अंकित किया जावें।

8 कार्य समाप्ति उपरान्त वनमण्डलाधिकारी द्वारा भी कार्य की मात्रा तथा गुणवत्ता की पुष्टि की जावेगी।

9 कार्य के पूर्व एवं समाप्ति उपरान्त निर्माण स्थल के फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से माप पुस्तिका के साथ चस्पा करें।

10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी संरक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1543--1544 दिनांक 4.07.2019 द्वारा निर्धारित कार्य मात्रा एवं शर्तो का पालन किया जावेगा।

26/7/19

(डॉ. एस. कालीदुरई)
मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक
इन्दौर वृत्त इन्दौर

पृ.क्र./योजना/2019/ 5972 इन्दौर, दिनांक : 26-7-19

प्रतिलिपि :-

1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल धार की ओर उनके पत्र क्रमांक 3883 दिनांक 23.07.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित। व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरती जावे तथा कार्य उच्च गुणवत्ता का होना चाहिये। कार्य पूर्ण कर नियमानुसार कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। अनुमोदित प्राक्कलन संलग्न है।

3 आदेश प्रति, वृत्त कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक
इन्दौर वृत्त इन्दौर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल